

## 2017 का विधेयक संख्यांक 44

[दि एप्रोप्रिएशन बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

# विनियोग विधेयक, 2017

वित्तीय वर्ष 2017-18 की सेवाओं के लिए भारत की  
संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय  
और विनियोग को प्राधिकृत  
करने के लिए  
विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनियोग अधिनियम, 2017 है ।  
संक्षिप्त नाम ।
- 5 2. भारत की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग सात सौ छियानवे खरब, पचहत्तर अरब, छत्तीस करोड़, निन्यानवे लाख रुपए होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान दिए जाने होंगे, संदत्त और उपयोजित की जा सकेंगी ।  
वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए भारत की संचित निधि में से 796,75,36,99,00,000 रुपए का निकाला जाना ।
- 10 3. इस अधिनियम द्वारा भारत की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी ।  
विनियोग ।
- 15 4. अनुसूची में मंत्रालयों या विभागों के प्रतिनिर्देश, 9 जनवरी, 2017 के ठीक पूर्व यथाविद्यमान ऐसे मंत्रालयों या विभागों के बारे में हैं और उस तारीख को या उसके पश्चात् उनका यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे समय-समय पर यथा पुनर्गठित समुचित मंत्रालयों या विभागों के प्रतिनिर्देश हैं ।  
अनुसूची में मंत्रालयों और विभागों के प्रति निर्देशों का अर्थान्वयन ।

अनुसूची

(धारा 2, धारा 3 और धारा 4 देखिए)

1 अनुदान का संख्यांक	2 सेवाएं और प्रयोजन		3		
			निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			संसद् द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
		₹	₹	₹	
1	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	राजस्व	5,25,75,57,00,000	...	5,25,75,57,00,000
		पूंजी	79,43,00,00,000	...	79,43,00,00,000
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	राजस्व	68,00,00,00,000	...	68,00,00,00,000
3	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग	राजस्व	28,77,48,00,00,000	...	28,77,48,00,00,000
		पूंजी	43,52,00,00,000	...	43,52,00,00,000
4	परमाणु ऊर्जा	राजस्व	1,31,09,36,00,00,000	1,00,00,000	1,31,10,36,00,00,000
		पूंजी	65,05,58,00,00,000	50,00,000	65,06,08,00,00,000
5	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	राजस्व	14,25,35,00,00,000	...	14,25,35,00,00,000
		पूंजी	3,30,00,00,000	...	3,30,00,00,000
6	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	राजस्व	2,73,39,00,00,000	...	2,73,39,00,00,000
		पूंजी	24,61,00,00,000	...	24,61,00,00,000
7	उर्वरक विभाग	राजस्व	7,42,64,67,00,00,000	...	7,42,64,67,00,00,000
		पूंजी	4,00,000	...	4,00,000
8	भेषजीय विभाग	राजस्व	2,47,68,00,00,000	...	2,47,68,00,00,000
		पूंजी	6,00,000	...	6,00,000
9	नागर विमानन मंत्रालय	राजस्व	7,81,34,00,00,000	...	7,81,34,00,00,000
		पूंजी	19,20,70,00,00,000	...	19,20,70,00,00,000
10	कोयला मंत्रालय	राजस्व	7,45,10,00,00,000	...	7,45,10,00,00,000
		पूंजी	7,00,00,00,00,000	...	7,00,00,00,00,000
11	वाणिज्य विभाग	राजस्व	43,14,55,00,00,000	6,00,000	43,14,61,00,00,000
		पूंजी	1,51,22,00,00,000	...	1,51,22,00,00,000

1	2	3			
		₹	₹	₹	
12	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	राजस्व	35,99,19,00,000	...	35,99,19,00,000
		पूंजी	9,68,00,000	...	9,68,00,000
13	डाक विभाग	राजस्व	2,50,57,61,00,000	60,00,000	2,50,58,21,00,000
		पूंजी	4,95,00,00,000	...	4,95,00,00,000
14	दूरसंचार विभाग	राजस्व	3,51,92,65,00,000	...	3,51,92,65,00,000
		पूंजी	33,86,00,00,000	...	33,86,00,00,000
15	उपभोक्ता मामले विभाग	राजस्व	37,23,10,00,000	...	37,23,10,00,000
		पूंजी	21,35,00,000	...	21,35,00,000
16	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	राजस्व	15,09,52,64,00,000	...	15,09,52,64,00,000
		पूंजी	5,05,23,05,00,000	...	5,05,23,05,00,000
17	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	राजस्व	4,78,54,00,000	...	4,78,54,00,000
		पूंजी	29,50,00,000	...	29,50,00,000
18	संस्कृति मंत्रालय	राजस्व	26,61,79,00,000	...	26,61,79,00,000
		पूंजी	76,68,00,000	...	76,68,00,000
19	रक्षा मंत्रालय (प्रकीर्ण)	राजस्व	2,77,43,95,00,000	76,00,000	2,77,44,71,00,000
		पूंजी	54,88,69,00,000	35,00,00,000	55,23,69,00,000
20	रक्षा सेवाएं (राजस्व)	राजस्व	19,53,09,04,00,000	1,07,34,00,000	19,54,16,38,00,000
21	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिच्यय	पूंजी	8,63,39,95,00,000	1,48,06,00,000	8,64,88,01,00,000
22	रक्षा पेंशन	राजस्व	8,57,37,31,00,000	2,69,00,000	8,57,40,00,00,000
23	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	राजस्व	20,84,45,00,000	...	20,84,45,00,000
		पूंजी	7,08,00,00,000	...	7,08,00,00,000
24	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	राजस्व	3,23,33,06,00,000	...	3,23,33,06,00,000
25	पृथ्वी-विज्ञान मंत्रालय	राजस्व	16,08,44,00,000	...	16,08,44,00,000
		पूंजी	1,15,00,00,000	...	1,15,00,00,000
26	इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	राजस्व	36,90,00,00,000	...	36,90,00,00,000
		पूंजी	3,49,00,00,000	...	3,49,00,00,000

1	2	3			
		₹	₹	₹	
27	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	राजस्व	40,02,69,00,000	...	40,02,69,00,000
		पूंजी	40,03,00,00,000	...	40,03,00,00,000
28	विदेश मंत्रालय	राजस्व	1,26,48,26,00,000	3,00,000	1,26,48,29,00,000
		पूंजी	21,50,26,00,000	...	21,50,26,00,000
29	आर्थिक कार्य विभाग	राजस्व	43,02,79,00,000	...	43,02,79,00,000
		पूंजी	1,11,53,05,00,000	...	1,11,53,05,00,000
30	व्यय विभाग	राजस्व	4,80,00,00,000	...	4,80,00,00,000
31	वित्तीय सेवाएं विभाग	राजस्व	27,31,99,00,000	...	27,31,99,00,000
		पूंजी	1,68,86,02,00,000	...	1,68,86,02,00,000
32	विनिधान और लोक आस्ति प्रबंध विभाग (डी.आई.पी.ए.एम.)	राजस्व	44,00,00,00,000	...	44,00,00,00,000
33	राजस्व विभाग	राजस्व	8,34,83,00,000	2,00,000	8,34,85,00,000
		पूंजी	2,43,00,00,000	...	2,43,00,00,000
34	प्रत्यक्ष कर	राजस्व	58,81,85,00,000	...	58,81,85,00,000
		पूंजी	2,28,79,00,00,000	...	2,28,79,00,00,000
35	अप्रत्यक्ष कर	राजस्व	58,61,44,00,000	50,00,000	58,61,94,00,000
		पूंजी	2,28,07,00,00,000	...	2,28,07,00,00,000
36	भारतीय संपरीक्षा और लेखा विभाग	राजस्व	41,63,03,00,000	1,46,54,00,000	43,09,57,00,000
		पूंजी	12,67,00,00,000	...	12,67,00,00,000
37	भारित - ब्याज अदायगियां	राजस्व	...	53,80,78,39,00,000	53,80,78,39,00,000
38	भारित - ऋण का प्रतिदाय	पूंजी	...	508,53,04,76,00,000	508,53,04,76,00,000
39	पेंशन	राजस्व	3,49,90,00,00,000	1,80,00,00,000	3,51,70,00,00,000
40	राज्यों को अंतरण	राजस्व	3,55,00,00,00,000	10,31,01,38,00,000	13,86,01,38,00,000
		पूंजी	...	1,86,00,00,00,000	1,86,00,00,00,000
41	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	राजस्व	8,00,00,00,00,000	...	8,00,00,00,00,000
42	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	राजस्व	4,70,33,65,00,000	...	4,70,33,65,00,000
		पूंजी	35,08,81,00,00,000	...	35,08,81,00,00,000

1	2	3			
		₹	₹	₹	
43	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	राजस्व	15,00,00,00,000	...	15,00,00,00,000
44	भारी उद्योग विभाग	राजस्व	9,84,99,00,000	...	9,84,99,00,000
		पूंजी	16,15,01,00,000	...	16,15,01,00,000
45	लोक उद्यम विभाग	राजस्व	19,38,00,000	...	19,38,00,000
46	गृह मंत्रालय	राजस्व	47,77,00,00,000	3,00,000	47,77,03,00,000
		पूंजी	3,22,97,00,000	...	3,22,97,00,000
47	मंत्रिमंडल	राजस्व	7,30,00,00,000	...	7,30,00,00,000
48	पुलिस	राजस्व	6,75,36,60,00,000	8,34,00,000	6,75,44,94,00,000
		पूंजी	1,11,71,64,00,000	6,72,00,000	1,11,78,36,00,000
49	अंदमान और निकोबार द्वीप	राजस्व	37,36,68,00,000	1,00,000	37,36,69,00,000
		पूंजी	5,26,59,00,000	...	5,26,59,00,000
50	चंडीगढ़	राजस्व	38,02,35,00,000	35,05,00,000	38,37,40,00,000
		पूंजी	3,32,85,00,000	1,42,15,00,000	4,75,00,00,000
51	दादरा और नागर हवेली	राजस्व	6,86,45,00,000	1,00,000	6,86,46,00,000
		पूंजी	3,89,16,00,000	...	3,89,16,00,000
52	दमण और दीव	राजस्व	12,88,09,00,000	2,00,000	12,88,11,00,000
		पूंजी	2,96,95,00,000	...	2,96,95,00,000
53	लक्षद्वीप	राजस्व	10,83,26,00,000	...	10,83,26,00,000
		पूंजी	1,65,65,00,000	...	1,65,65,00,000
54	दिल्ली को अंतरण	राजस्व	7,58,00,00,000	...	7,58,00,00,000
55	पुडुचेरी को अंतरण	राजस्व	14,11,01,00,000	...	14,11,01,00,000
		पूंजी	72,00,00,000	...	72,00,00,000
56	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	राजस्व	64,06,00,00,000	...	64,06,00,00,000
57	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	राजस्व	6,74,59,05,00,000	...	6,74,59,05,00,000
58	उच्चतर शिक्षा विभाग	राजस्व	3,30,79,70,00,000	...	3,30,79,70,00,000
		पूंजी	2,50,00,00,000	...	2,50,00,00,000

1	2	3			
		₹	₹	₹	
59	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	राजस्व	43,79,90,00,000	...	43,79,90,00,000
		पूंजी	29,10,00,000	...	29,10,00,000
60	श्रम और रोजगार मंत्रालय	राजस्व	73,55,53,00,000	...	73,55,53,00,000
		पूंजी	22,85,00,000	...	22,85,00,000
61	विधि और न्याय	राजस्व	30,72,39,00,000	...	30,72,39,00,000
		पूंजी	10,71,27,00,000	...	10,71,27,00,000
62	निर्वाचन आयोग	राजस्व	1,13,00,00,000	...	1,13,00,00,000
		पूंजी	33,00,00,000	...	33,00,00,000
63	भारित -- भारत का उच्चतम न्यायालय	राजस्व	...	2,47,00,00,000	2,47,00,00,000
64	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	राजस्व	64,71,36,00,000	...	64,71,36,00,000
		पूंजी	10,60,00,000	...	10,60,00,000
65	खान मंत्रालय	राजस्व	10,54,55,00,000	10,00,000	10,54,65,00,000
		पूंजी	1,58,84,00,000	...	1,58,84,00,000
66	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	राजस्व	40,25,48,00,000	...	40,25,48,00,000
		पूंजी	1,70,00,00,000	...	1,70,00,00,000
67	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	राजस्व	1,07,24,54,00,000	...	1,07,24,54,00,000
		पूंजी	90,00,00,000	...	90,00,00,000
68	पंचायती राज मंत्रालय	राजस्व	7,90,79,00,000	...	7,90,79,00,000
69	संसदीय कार्य मंत्रालय	राजस्व	17,88,00,000	...	17,88,00,000
70	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	राजस्व	12,66,60,00,000	4,49,00,000	12,71,09,00,000
		पूंजी	1,49,91,00,000	2,00,00,000	1,51,91,00,000
71	भारित-केंद्रीय सतर्कता आयोग	राजस्व	...	27,68,00,000	27,68,00,000
72	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	राजस्व	2,53,10,37,00,000	...	2,53,10,37,00,000
		पूंजी	38,47,20,00,000	...	38,47,20,00,000
73	योजना मंत्रालय	राजस्व	2,52,09,00,000	...	2,52,09,00,000
		पूंजी	43,00,000	...	43,00,000

1	2		3		
			₹	₹	₹
74	विद्युत मंत्रालय	राजस्व	1,11,02,46,00,000	...	1,11,02,46,00,000
		पूंजी	37,08,40,00,000	...	37,08,40,00,000
75	भारित - राष्ट्रपति के	राजस्व	...	66,00,00,000	66,00,00,000
	कर्मचारिवृन्द, गृह और भते				
76	लोक सभा	राजस्व	6,63,11,00,000	1,15,00,000	6,64,26,00,000
77	राज्य सभा	राजस्व	3,86,38,00,000	1,02,00,000	3,87,40,00,000
78	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	राजस्व	5,30,00,000	...	5,30,00,000
79	भारित -- संघ लोक सेवा	राजस्व	...	2,29,19,00,000	2,29,19,00,000
	आयोग				
80	रेल मंत्रालय	राजस्व	23,64,61,18,00,000	1,58,23,00,000	23,66,19,41,00,000
		पूंजी	19,43,03,45,00,000	38,01,00,000	19,43,41,46,00,000
81	सड़क परिवहन और राजमार्ग	राजस्व	1,99,03,48,00,000	...	1,99,03,48,00,000
	मंत्रालय	पूंजी	10,04,55,66,00,000	10,00,00,000	10,04,65,66,00,000
82	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	17,04,36,63,00,000	...	17,04,36,63,00,000
		पूंजी	5,25,00,000	...	5,25,00,000
83	भू-संसाधन विभाग	राजस्व	23,10,36,00,000	...	23,10,36,00,000
84	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	राजस्व	48,21,76,00,000	2,00,000	48,21,78,00,000
	विभाग	पूंजी	15,59,00,000	...	15,59,00,000
85	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	22,22,11,00,000	...	22,22,11,00,000
86	वैज्ञानिक और औद्योगिक	राजस्व	44,39,25,00,000	...	44,39,25,00,000
	अनुसंधान विभाग	पूंजी	6,75,00,000	...	6,75,00,000
87	पोत परिवहन मंत्रालय	राजस्व	16,68,84,00,000	...	16,68,84,00,000
		पूंजी	4,40,66,00,000	...	4,40,66,00,000
88	कौशल विकास और उद्यमता	राजस्व	27,66,11,00,000	...	27,66,11,00,000
	मंत्रालय	पूंजी	2,50,03,00,000	...	2,50,03,00,000
89	सामाजिक न्याय और	राजस्व	65,89,78,00,000	...	65,89,78,00,000
	अधिकारिता विभाग	पूंजी	3,18,22,00,000	...	3,18,22,00,000

1	2	3			
		₹	₹	₹	
90	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	राजस्व	8,22,26,00,000	...	8,22,26,00,000
		पूँजी	32,74,00,000	...	32,74,00,000
91	अंतरिक्ष विभाग	राजस्व	49,37,73,00,000	60,00,000	49,38,33,00,000
		पूँजी	41,54,98,00,000	40,00,000	41,55,38,00,000
92	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	राजस्व	47,67,49,00,000	...	47,67,49,00,000
		पूँजी	28,25,00,000	...	28,25,00,000
93	इस्पात मंत्रालय	राजस्व	44,14,00,000	...	44,14,00,000
94	वस्त्र मंत्रालय	राजस्व	61,90,98,00,000	...	61,90,98,00,000
		पूँजी	35,52,00,000	...	35,52,00,000
95	पर्यटन मंत्रालय	राजस्व	18,39,69,00,000	...	18,39,69,00,000
		पूँजी	1,08,00,000	...	1,08,00,000
96	जनजातीय कार्य मंत्रालय	राजस्व	11,33,23,00,000	41,36,09,00,000	52,69,32,00,000
		पूँजी	60,00,00,000	...	60,00,00,000
97	शहरी विकास मंत्रालय	राजस्व	1,73,56,59,00,000	88,30,00,000	1,74,44,89,00,000
		पूँजी	1,92,42,81,00,000	90,00,00,000	1,93,32,81,00,000
98	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	राजस्व	84,05,99,00,000	1,00,00,000	84,06,99,00,000
		पूँजी	7,99,29,00,000	4,00,00,000	8,03,29,00,000
99	महिला और बाल विकास मंत्रालय	राजस्व	2,25,56,02,00,000	...	2,25,56,02,00,000
		पूँजी	38,65,00,000	...	38,65,00,000
100	युवा कार्य और खेल मंत्रालय	राजस्व	18,88,46,00,000	...	18,88,46,00,000
		पूँजी	54,75,00,000	...	54,75,00,000
<b>योग :</b>			<b>221,65,31,75,00,000</b>	<b>575,10,05,24,00,000</b>	<b>796,75,36,99,00,000</b>



## **उद्देश्यों और कारणों का कथन**

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 114(1) के अनुसरण में, भारत की संचित निधि में से उन धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए, जो, वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए केंद्रीय सरकार के व्ययों के लिए, जिसके अंतर्गत रेल के व्यय भी सम्मिलित हैं, लोक सभा द्वारा किए गए अनुदानों को चुकाने के लिए आवश्यक हैं, पुरःस्थापित किया जा रहा है ।

**अरुण जेटली**